

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(11) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 10.10.24

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.09.24 के द्वारा श्री अशोक पाणिग्राही, अधिवक्ता द्वारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली के पद से प्रस्तुत त्याग-पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया गया था।

अतः श्री अशोक पाणिग्राही, तत्कालीन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष पैरवी हेतु राजस्थान राज्य के आवंटित प्रकरण श्री एस. उदय कुमार सागर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को आवंटित किये जाते हैं।


आज्ञा से,

ह०-

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. श्री अशोक पाणिग्राही, तत्कालीन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें राजस्थान राज्य के आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री एस. उदय कुमार सागर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को सुपुर्द करने का श्रम करावें।
18. श्री एस. उदय कुमार सागर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को निर्देशित किया जाता है कि श्री अशोक पाणिग्राही, तत्कालीन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली से उन्हें राजस्थान राज्य के आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को सूचित करने का श्रम करावें।
19. संबंधित कोषाधिकारी।
20. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
21. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
22. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 10/10/24
विशिष्ट शासन सचिव